न्यायालय- वाणिज्यक न्यायालय संख्या 01 मेरठ।

मूल वाद संख्या- 96/2023 (पुराना नंबर 282/2019)

करुर वैश्य बैंक लिमिटेड बनाम रेखा रानी और अन्य

दिनांक 06-12-2024

वाद पुकारा गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

पत्रावली आज साक्षी पी.डब्लू.-1 अतुल अग्रवाल से प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिपरीक्षा किये जाने हेतु नियत है तथा साक्षी पी.डब्लू.-1 अतुल अग्रवाल न्यायालय में उपस्थित है, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 36 ग इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता शादी में व्यस्त रहने के कारण जिरह करने के लिए तैयार नहीं है।

वादी के अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र पर यह उल्लिखित किया गया है कि "वादी गवाह न्यायालय में उपस्थित है। गवाह दिल्ली से आता है तथा बैंक कर्मचारी है। गवाह का एक दिन का 2500/- रुपये व्यय होता है।" अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 36 ग मुबलिग 2500/- रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। हर्जे की उक्त धनराशि वादी के एकाउंट में नियमानुसार जमा की जायेगी। पत्रावली दिनांक 07-01-2025 को साक्षी पी.डब्लू.-1 अतुल अग्रवाल से प्रतिपरीक्षा हेतु पेश हो।

पीठासीन अधिकारी

वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01,

मेरठ।

Digitally signed by SATYA NAND
UPADHYAY
Date: 2024.12.06 16:24:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court